भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ
(भाग–I, खण्ड–I)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 57 /2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी, 2016

विदेश व्यापार नीति, (2015–20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.55 (घ) में दिए गए प्रावधान में ढील प्रदान करते हैं और इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं :–

ऐसी पोत लदान पूर्व निरीक्षण एजेंसियाँ (पीएसआईए) जिन्हें विदेश व्यापार नीति, (2015–20) के परिशिष्ट एवं आयात–निर्यात प्रपत्र (परिशिष्ट एवं एएनएफ) के परिशिष्ट 2छ में शामिल किया गया है, और जिन्होंने पीएसआईए के रूप में अब तक की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है अथवा जिनकी वैधता दिनांक 31 मई 2016 को अथवा इससे पहले समाप्त हो जाएगी, 31 मई, 2016 तक आगे बढ़ाई जाती है।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव</u>: विदेश व्यापार नीति, (2015–20) के परिशिष्ट एवं एएनएफ के परिशिष्ट 2छ में यथा सूचीबद्ध एजेंसियाँ दिनांक 31 मई, 2016 तक पीएसआईए के रूप में वैध रहेंगी।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/53/162/पी–16/पीएसआईए/आईसी/एएम13 से जारी)